फार्म बी.एम.-9(भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

अनुदान संख्या व नाम : 43- परिवहन विभाग **वित्तीय वर्ष 2017-18** **(धनराशि लाख रूपये में)**

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण **वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा**

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) पूंजीगत पक्ष	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2 + 5)
1	2	3	4	5	6
4059 01 051 08 00 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण- 08-फैजाबाद में सारथी हॉल का निर्माण- 24-वृहत निर्माण कार्य	68.45	19.08	14.16	14.16	82.61
योग-	**68.45**	**19.08**	**14.16**	**14.16**	**82.61**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण **वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा**

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में कुल प्रत्याशित व्यय	संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
4059 01 051 07 00 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण- 07-सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में सारथी हॉल का निर्माण- 24-वृहत निर्माण कार्य	00	14.16	14.16	14.16	14.16
योग -	**00**	**14.16**	**14.16**	**14.16**	**14.16**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) स्तम्भ-3 में बचत का कारण निम्नानुसार है :-

फैजाबाद में सारथी हॉल के निर्माण हेतु प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष आवश्यक धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के फलस्वरूप अवशेष धनराशि रू0 19.08 लाख की आवश्यकता न होने के कारण।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

पूर्व निर्मित सम्भागीय परिवहन कार्यालय मेरठ में सारथी हॉल के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-81/2676/30-3-14-10बी/2013-1 दिनांक 13-11-2014 द्वारा धनराशि रू0 165.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसके सापेक्ष तृतीय एवं अन्तिम किश्त के रूप में शासनादेश दिनांक 28-03-2016 के द्वारा रू0 57.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी, जिसे आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दिया गया। कार्यदायी संस्था-यूपी स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 द्वारा अवगत कराया गया कि विस्तृत आगणन लोक निर्माण विभाग की मेरठ इकाई द्वारा जून, 2017 से प्रभावी दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसकी लागत रू0 179.16 लाख पुनरीक्षित आगणन उपलब्ध कराया गया है। अत- प्रश्नगत निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु अवशेष धनराशि के रूप में रू0 14.16 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता अनुमानित है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्वनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर0ई0 731/ई-9-यू0ओ0-167/दस-2017, दिनॉक 29 मार्च, 2018

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

ह0/-
(विनोद कुमार)
उप सचिव,
परिवहन विभाग।

ह0/-
(संजय कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग।

संख्या-48/2018/1099(1)/तीस-3-2018-10बी/2013-1, दिनॉक 30 मार्च, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस शर्त के साथ प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-

(विनोद कुमार)

उप सचिव,

परिवहन विभाग।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।